बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
आदेश

आ०सं०–01/स्था0 (विविध)–06/2020 (पार्ट)............................ न०वि० एवं आ०वि०, पटना दिनांक–

नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत PMU-I (विशेष अनुश्रवण कोषांग) हेतु परियोजना समन्वयक (Project Co-ordinator), विधि सलाहकार (Law Adviser) एवं IEC Expert के कर्त्तव्य एवं दायित्वों के सम्पादन हेतु संविदा के आधार पर नियोजन के लिए दिनांक–10.02.2020 को सम्पन्न वॉक–इन–इन्टरव्यू (Walk-In-Interview) के पश्चात् चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित दायित्व एवं मानदेय पर संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है:–

क्र० सं०	नाम	दायित्व	मानदेय
1	डॉ0 सुगंध चतुर्वेदी	परियोजना समन्वयक (Project Co-ordinator)	अंतिम प्राप्त वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर शेष राशि देय होगा।
2	(i) श्री रोहित शंकर चौधरी (ii) श्री ब्रजेश कुमार (अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विरूद्ध आरक्षित पद के लिए)	विधि सलाहकार (Law Adviser)	₹60,000/-
3	श्री अनिमेश नचिकेता	IEC Expert	₹60,000/-

2. उपरोक्त व्यक्तियों का चयन निम्न शर्त्तों के अधीन किया जाता है:–

(i) संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने तथा विभाग द्वारा अवधि विस्तार किये जाने पर एक–एक वर्ष करके संविदा अवधि को अगले आदेश तक बढ़ाया जा सकेगा।

(ii) नियोजित व्यक्तियों का कार्य असंतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में एक माह का नोटिस/मानदेय देकर सेवा समाप्त कर दी जायेगी, विशेष परिस्थिति में इससे कम नोटिस पर भी संविदा समाप्त की जा सकती है।

(iii) इन्हें निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

(iv) यह नियोजन पूर्णतः अस्थायी होगा तथा भविष्य के लिए नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(v) योगदान हेतु किसी प्रकार का भत्ता अलग से देय नहीं होगा।

3. परियोजना समन्वयक (Project Co-ordinator), विधि सलाहकार (Law Adviser) एवं IEC Expert के नियोजन आदि पर होने वाले व्यय का वहन मुख्य शीर्ष 2251–सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 090–सचिवालय, उपशीर्ष 0005–नगर विकास एवं आवास विभाग के विपत्र कोड 48–2251000900005 के 28–व्यावसायिक सेवाएं अन्तर्गत विषय शीर्ष 0005–28–02 संविदा सेवायें मद से होगा।

5. प्रस्ताव में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(राम सेवक प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

D:\LETTER-2020\KARYALAY AADESH.doc- 64 -

ज्ञापांक–01/स्था0 (विविध)–06/2020 (पार्ट) 778 /न0 वि0 एवं0 आ0 वि0 पटना, दिनांक–12.02.2020

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष, सभी विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.02.2020

सरकार के अवर सचिव।